

कर्नाटक महिला हिन्दी सेवा समिति, बेंगलोर-18

Karnataka Mahila Hindi Seva Samithi, Bangalore

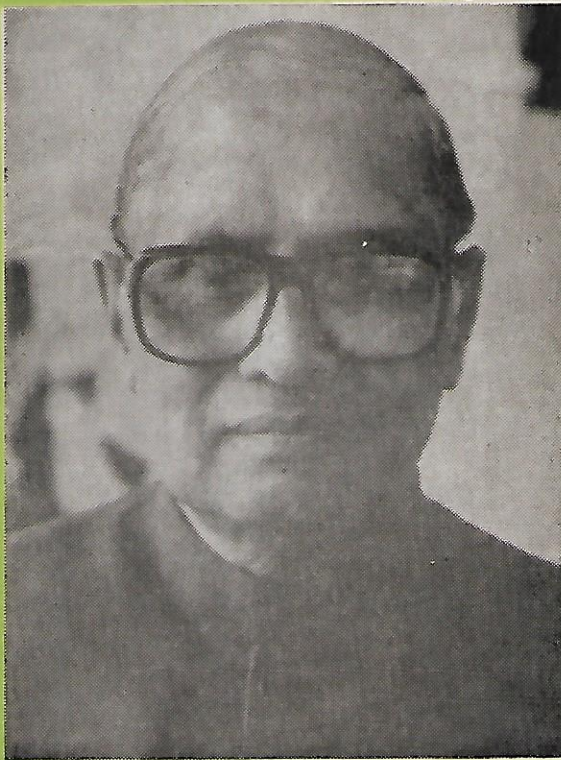
कन्नड़ और हिन्दी के वरिष्ठ साहित्यकार

सन्मान्य डॉ० सिद्धय्य पुराणिक जी

का



दीक्षांत भाषण



20-वाँ पदवीदान समारोह

ता. 29-1-1994 शनिवार

कन्नड और हिन्दी के वरिष्ठ साहित्यकार
सन्मान्य डॉ० सिद्ध्य पुराणिक जी
का

दीक्षांत भाषण

समिति की सन्मान्य अध्यक्ष मातृश्री मुत्तुबाई मानेजी, आदरणीय उपाध्यक्ष श्रीमती के. एस. इंदिरा देवीजी, गौरवान्वित कोषाध्यक्ष श्रीमती महालक्ष्मम्माजी, प्रधान सचिवा श्रीमती बी. एस. शान्ताबाईजी, संस्थापक-सलाहकार मान्यवर डॉ० पी. आर. श्रीनिवास शास्त्रीजी, कार्यकारिणी समिति तथा परीक्षा समिति के सदस्यों, समिति के प्रशिक्षण महाविद्यालयों की सलाहकार समिति के अध्यक्ष श्री कटीलगणपति शर्मा जी, आज सम्मान प्राप्त करनेवाले रसऋषि पद्मश्री पु. ति. नरसिंहाचार्य जी, विद्वेषीमणि डॉ० (श्रीमती) राधाकृष्णमूर्तिजी, प्रो० एस. श्रीकंठमूर्तिजी, श्रीमती एम. वी. लीलावतीजी, पदवी प्राप्त करनेवाले स्नातक गण, समूह माध्यम के भाइयो, बहनो तथा प्रतिष्ठित आमंत्रितो,

2. कर्नाटक महिला हिन्दी सेवा समिति के बीसवें पदवीदान समारोह में दीक्षांत भाषण देने का सौभाग्य समिति के सूत्रधारों के औदार्य से मुझे प्राप्त हुआ है। मैं प्रार्थना करता हूँ कि मुझे निमंत्रित करनेवाले ही इस महान् कार्य को संभालने की योग्यता का मुझमें आवाहन करके मेरी अल्प

सेवा स्वीकार करें। मुझे जो गौरव दिया गया है, तदर्थ मैं अपनी कृतज्ञताएँ समर्पित करता हूँ।

3. कर्नाटक राज्य की प्रतिष्ठा एवं गरिमा को बढ़ाने में महिलाओं का योगदान अगाध है और अद्वितीय है। अत्तिमब्बे, मुक्तायक्का, अक्क-महादेवी, अक्कादेवी, विजयांका, गंगादेवी, शांतला, केळदिय चेन्नम्मा, कित्तूर चेन्नम्मा, बेलवडिय मल्लम्मा, संचिय होन्नम्मा, ओनकेय ओबब्बा, हेळवनकट्टे गिरियम्मा किसका नाम लें और किसका न लें? कर्नाटक के आसमान में चेन्नम्मा के फूलगुच्छ की तरह, क्षीरपथ के रूप में प्रकाशित हो रही हैं—इस कर्नाटक की अनगिनत महान महिलाएँ।

4. गरिमा से युक्त इस नारी परंपरा को आगे बढ़ाने के उद्देश्य से ही कर्नाटक महिला हिन्दी सेवा समिति का जन्म हुआ—गत चालीस वर्षों से, हमारी बहनों ने भारतवर्ष में ही बहुत बड़ी सुसंघटित एवं संचालित हिन्दी सेवा संस्था के रूप में जो उसे आगे बढ़ाया है उसकी जितनी भी प्रशंसा की जाए सो कम है। इस चरित्रार्ह भाषा भारती के निर्माण कार्य में त्रिकरण शुद्धि से, निरपेक्ष बुद्धि से, बिना थकावट के जो बहनें श्रद्धा त्याग एवं सेवाभावना से दिन रात परिश्रम उठा रही है उन्हें हिन्दी प्रचारक एवं शिक्षकों को और दानियों को मैं अपना नमन समर्पित करता हूँ।

5. समिति के कार्यक्षेत्र का विस्तार विस्मयकारक है। राज्य के सभी ताल्लूकों में निःशुल्क हिन्दी वर्ग, हर जिले में प्रशिक्षण महाविद्यालय, पुस्तक भंडार, वाचनालय, हर वर्ष साठ हजार से भी ज्यादा छात्रों को हिन्दी शिक्षण, अल्प वेतन स्वीकार करते हुए अनल्प सेवा करने वाले 2250 हिन्दी प्रचारकों की सेवा, विविध भाषाओं में महिलाओं को मुद्रणकला में प्रशिक्षण देनेवाला मुद्रण कला महाविद्यालय, हिन्दी टंकण एवं आशुलिपि

प्रशिक्षण केंद्र, सैकड़ों उपयुक्त मौलिक ग्रन्थों का प्रकाशन विभाग, पुस्तक विक्रय विभाग, “हिन्दी प्रचार वाणी” जैसी श्रेष्ठ मासिक पत्रिका का प्रकाशन, कंप्यूटर विभाग, कन्नडेंतर नागरिकों को कन्नड़ सिखाने का विभाग, हर वर्ष पदवीदान समारंभ के शुभ अवसर पर गण्य विद्वान एवं गमनार्ह हिन्दी प्रचारकों का सम्मान, जिला स्तर पर हिन्दी प्रचारकों के सम्मेलनों का आयोजन, विभागीय स्तर पर विचार गोष्ठियाँ पाठ्य-पुस्तक रचना विभाग, ओह ! कितने विधायक कार्य इस समिति की छत्र-छाया में चल रहे हैं ! मैं कामना करता हूँ कि इस समिति का कार्यक्षेत्र शतवार विस्तृत होवे और अनंतकाल तक इसके कार्य चलते रहें।

6. इस समिति की प्रशंसा करने का और एक कारण हैं। हमारे संविधान के 343 वें अनुच्छेद के प्रकार देवनागरी लिपि बद्ध हिन्दी भाषा भारत की एकता की राष्ट्रसंघ की राजभाषा के रूप में स्वीकृत हुई है। यह आदेश दिया गया है कि इस राजभाषा हिन्दी का उपयोग भारत राष्ट्र-संघ की व्याप्ति में आने वाले सभी कार्यालयों एवं कार्यागारों में धीरे-धीरे होना चाहिए। यह जितना मुख्य है, उतना ही मुख्य अनुच्छेद 351 है जो निदेशित करता है कि हिन्दी भाषा को किस प्रकार प्रसारित करना चाहिए। उस अनुच्छेद को यहाँ उद्धृत करना आवश्यक है।

अनुच्छेद 351 :- “हिन्दी भाषा के प्रसार को इस प्रकार वृद्धिगत कराना भारत राष्ट्र-संघ का कर्तव्य है कि भारत की सम्मिश्र संस्कृति के सब मूल तत्वों की अभिवृद्धि साध्य हो, आठवीं अनुसूचि में निर्दिष्ट की हुई हिन्दुस्तानी भाषा में अथवा भारतीय अन्य भाषाओं में प्रचलित रूप, शैली और पद-वर्णियों को एकरूपता प्रदान करने के द्वारा और जब आवश्यकता पड़े

अथवा अपेक्षा महसूस हो—उसके शब्द भंडार को प्रथमतः संस्कृत से और अन्य भाषाओं के शब्दों को स्वीकार करने के द्वारा उसकी श्रीसंपत्ति को सुनिश्चित रूप देने के लिए हिन्दी भाषा के प्रसार को वृद्धिगत कराना राष्ट्र संघ का कर्तव्य होगा ।”

7. इसमें आरंभ का यह वाक्य “भारत की सम्मिश्र संस्कृति के सब मूलतत्वों की अभिव्यक्ति का माध्यम होवे”—अत्यंत महत्वपूर्ण है । भाषा का केवल व्यावहारिक रूप धारण करना पर्याप्त नहीं है । विचार विनिमय का साधन बनना भी पर्याप्त नहीं है । शिक्षा का माध्यम भी बने, यह भी पर्याप्त नहीं है । संपर्क भाषा, राजभाषा बने—सो भी पर्याप्त नहीं । उसे देश की संस्कृति के सभी तत्वों का माध्यम बनना चाहिए । तभी वह देशवासियों की भावैक्यता के संवर्धन का साधन बनता है । हाँ, साधन मात्र, वही साध्य नहीं है । भारतीय संस्कृति एक सम्मिश्र संस्कृति है । इसके मूलतत्वों में हजारों वर्षों का प्रत्येक साहित्य, कला, शास्त्र, इतिहास की परंपरा को प्राप्त प्रादेशिक भाषाओं में अभिव्यक्त विशेषांश भी मिलकर, मुहम्मदीय, ईसाई, पारसी, सिक्ख आदि धर्मियों ने जिन विनूतन अंशों का योगदान दिया है—सब मिलकर यह एक बहुधर्मीय, बहुभाषी, बहुमुखी एवं समष्टि संस्कृति बनकर शोभायमान है । हिन्दी भाषा को इस प्रकार विकसित करना चाहिए वह इन मूलतत्वों का माध्यम बन सके ।

8. अगर ऐसा होना है तो हिन्दुस्तानी एवं भारत की अन्य भाषाओं में प्रचलित रूप, शैली और पदावलियों के बीच में यथासाध्य एकरूपता लानी चाहिए । हिन्दी राज्यों में जिनकी मातृभाषा हिन्दी है, वे अपनी इच्छानुसार हिन्दी को बढावें । चाहें “कादंबरी” को “उपन्यास” कहें, “टीका” को “आलोचना” कहें, ‘जातीयता’ को ‘सांप्रदायिकता’ कहें,

‘समाचार’ देनेवालों को “संवाददाता” कहें, मगर वे इस बात पर हठ न करें कि हिन्दी जो उपयोग एवं विकास करना चाहते हैं—उनको भी इन्हीं पदों का उपयोग करना चाहिए । इस संपर्क भाषा के शब्द भंडार को, प्रथमतः संस्कृत से, इसके अलावा सभी भारतीय भाषाओं से, उप भाषाओं से लिपिरहित भाषा और आदिवासियों की भाषाओं से भी शब्दों को उदारता के साथ स्वीकार करने के द्वारा समृद्ध किया जाए । तब उसे सांस्कृतिक आयाम भी मिलकर वह सब भारतीयों की संतोषपूर्वक स्वीकृति का पात्र बनेगी । शासन, शासन और अनुशासन के बल पर भाषा को उन लोगों के गले उतारना असाध्य है जो सीखना नहीं चाहते । अगर वह संस्कृति के संवहन का साधन बनेगा तो वह सीखना न चाहने वालों की हतुंतत्रियों को भी बजाने लगता है । यह कवि जिसने भारत के बहुभागों की भ्रमण किया और अपनी आँखों से देखा और उनकी भाषाओं के साहित्य का रसास्वादन किया—इस प्रकार अपने हृदय से उद्गार निकला :—

बेलूर बालाएँ — वेरूळ इंद्रसभा
देखतीं चाह से कैलास — सपना ।
गोलगुम्मत ताजमहल को नित्य
भेजता नव मेघ संदेश अपना ॥

गर्दन उठा देखती कुतुब मीनार
दक्षिण के अत्युच्च गोपुरों को ।
कर स्मरण चिदंबर नटराज पुरुष का
बाँधते उत्तर में नूपुरों को

लिखती कांचनगंगा आगुंबे के नाम
प्रीति भोज का पत्र स्वर्ण वर्णों में ।

आसाम प्रकृति सौंदर्य देवी को
श्रीनगर भेजता शृंगार कुसुम वल्लरी में ॥

वर्ण देह में बिजली को बंदी बना
वह अजंता काले, खजुराहों को ।
भेज रहा संदेश सौंदर्य का
क्या उफान कला में आया भारत की ॥

यह सौभाग्य प्राप्त और किस देश को
कहाँ देखोगे यह सुषुमा संपत्ति ?
धूम सब देश आना यहीं पर
रहीं हुई प्रप्रथम शिव की उत्पत्ति ।

भाग्यवान तुम भारत में रहते हो
यहीं संतोष फूटे बन फव्वार ।
करा ले तुमसे रचनात्मक कार्य
स्वर्ण बन, प्रकाशित हो भारत प्यारा ॥

यह समिति इन्हीं ध्येय, उद्देश्य और आदर्शों के साथ व्यापक रूप से हिन्दी का प्रसार कर रही है, यही इस समिति के प्रति मेरी प्रशंसा वृद्धि का कारण है। समिति ने अपनी सब परीक्षाओं में एक कन्नड़ पत्र को अनिवार्य बना दिया है और इसके द्वारा प्रतिवर्ष दस हजार से अधिक कन्नड़ न जानने वालों को कन्नड़ सिखायी है। समिति द्वारा प्रकाशित पुस्तकों में कर्नाटक का इतिहास, साहित्य एवं कलाओं से संबंधित विषय हैं। संविधान के 351 के अनुच्छेद में निदेशित सूत्रों के अनुसार हिन्दी भाषा के प्रचार द्वारा समिति आदर्श रीति से, कन्नड़ भाषा को किसी प्रकार का धक्का पहुँचाये बिना कन्नड़ में शक्ति भरने की रीति से अपना कार्य कर

रही है। उसके उद्देश्य का, विवरण में जो वाक्य आया है वह मेरे लिए अति प्रमुख है”

“हिन्दी प्रचार के साथ भारत की एकता बनाये रखना समिति का प्रधान लक्ष्य है। प्रांतीय भाषा के सहयोग से हिन्दी का विकास करना उसका प्रमुख कार्यक्रम है।”

इस सदुद्देश को अपना कर आगे बढ़ने के कारण ही समिति का कार्य उत्तरोत्तर अभिवृद्धि प्राप्त करता जा रहा है। मैं कामना करता हूँ कि इसी प्रकार यह समिति अभिवृद्धि प्राप्त करती रहे।

समाप्त करने के पहले एक और बात कहनी है।

स्वतंत्रता प्राप्ति के पूर्व से ही कर्नाटक “गान्धी प्रांत” के नाम से प्रशंसा प्राप्त कर चुका है। यह किसी के विरोध के बिना बृहत्मात्रा में हिन्दी का प्रचार कार्य करता आ रहा है। इस समिति के अतिरिक्त दक्षिण भारत हिन्दी प्रचार सभा की कर्नाटक शाखा, कर्नाटक प्रांतीय हिन्दी प्रचार सभा, कर्नाटक हिन्दी प्रचार समिति, मैसूर हिन्दी प्रचार परिषद् आदि संस्थाएँ हिन्दी प्रचार में लगी हुई हैं। कर्नाटक के शिक्षण क्रम में त्रिभाषा सूत्र को अपनाया गया है और हिन्दी को भी स्थान दिया गया है। यहाँ के विश्वविद्यालयों में हिन्दी विभाग भी हैं। प्रतिवर्ष लाखों विद्यार्थी हिन्दी भाषा सीख रहे हैं। स्वतंत्रता संग्राम में, खादी ग्रामोद्योग क्षेत्र में, भूदान यज्ञ में भावात्मक एकता के संवर्धन में, राष्ट्र-रक्षा में, राष्ट्र की प्रत्येक योजना में कर्नाटक अपना महत्वपूर्ण पात्र निभाता आ रहा है। इतना करने पर भी कर्नाटक को भारत सरकार से क्या प्रतिफल मिला है? कर्नाटक के प्रति जितना अन्याय किया गया है उतना अन्य किसी राज्य के साथ नहीं हुआ है। हिन्दी विरोधी राज्यों को, जो कुछ

मांगा जाता वह सब देने वाली, हिन्दी के समर्थक राज्यों को जो कुछ न्याय से मिलना चाहिए उसे भी न देने वाली नीति के कारण हिन्दी राज्यों अन्य हिन्दीतर भाषाओं को कम से कम “नाम के वास्ते” भी अब तक स्थान प्राप्त नहीं हुआ है। इस कारण से कर्नाटक में भी हिन्दी के प्रति विरोधभाव जन्म लेने लगा है।

केन्द्र सरकार को और हिन्दी राज्यों को भी इस ओर अपनी आँखें खोलकर ध्यान देना आवश्यक है। हिन्दी की अभीवृद्धि के लिए दी जानेवाली प्राथमिकता के साथ ही प्रादेशिक भाषाओं के विकास के लिए भी महत्व देना चाहिए जैसे हम मीरा, कबीर, तुलसी, सूरदास, भारतेन्दु, जयशंकर प्रसाद, ‘गुप्त’, द्विवेदी, पंत, निराला, नवीन, अज्ञेय, दिनकर, बच्चन, सुमन, राकेश, नगेंद्र आदि को कवि मानकर उन पर गर्व करते हैं। इसी प्रकार हिन्दी भाषा-भाषियों को भी हमारे, पंप, रत्न, जज्ञ, बसवेश्वर अल्लम, अक्कमहादेवी हरिहर, राधवाँक, पुरंदरदास, कनकदास, कुमारव्यास, सर्वज्ञ, शरीफसाहब, बी. एम. श्री कुर्वेपु, बेंद्रें, कारंत, डी.वी. जी., मास्ति, गोकक, वी. सी. आदियों को अपने कवि मानकर प्रेम से अपनाना चाहिए। इसी प्रकार अन्य भाषाओं के उत्कृष्ट कवि-विभूतियों को भी अपनाना चाहिए। यदि कार्य हो तो, हिन्दी के प्रति किसी का भी विरोध नहीं हो सकता और हिन्दी वास्तविक अर्थ में भारत की सम्मिश्रित संस्कृति के मूलतत्वों की अभिव्यक्ति का माध्यम बनकर राष्ट्र की एकता अखंडता के लिए भारतियों की भावात्मक एकता का प्रबल साधन बनेगी। वह सुदिन शीघ्र ही आ जाये। इसी मार्ग पर अग्रसर हो रही इस समिति को सब प्रकार का यश प्राप्त होवे। आज यहाँ जो पदवी प्राप्त कर रहे हैं, जो इससे पूर्व प्राप्त कर चुके हैं तथा भविष्य में जो प्राप्त करने वाले हैं उन सब स्नातक स्नातिकाओं को।

भद्रम्—शुभम्—मंगलम्